

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -256/2023

अनवान : -

1. जगमोहन पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
2. सेवकसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. साधुसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गुरमेलसिंह पुत्र हरबश कौर जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
3. निर्मल सिंह पुत्र हरबंश कौर जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
4. खुशवंत सिंह पुत्र बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
5. जीवणसिंह पुत्र साधूसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक: 09.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 89/89 की कुल 13.8410 हैक्ट भूमि में से 11533/69200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम, 15569/1107280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम, 65163/957797200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 90/88 की कुल 20.7330 हैक्ट भूमि में से 916/20733 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम, 3455/20733 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम, 253/20733 हिस्सा भूमि वादी स0 1 के नाम, 941/27644 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि है जिसमें बतौर कर्ता हिन्दु खानदान प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है तथा उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के पुत्र वादी एवं प्रतिवादी स0 5 है जो कि अपने पिता की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वाद भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया है तथा मुताबिक बंटवारा के अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है जो कि निम्न प्रकार से है:-

1. वादी एवं प्रतिवादी स0 5 के पास- रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील के खाता स0 90/88 की कुल 20.7330 हैक्ट भूमि में साधुसिंह के नाम दर्ज 3455/20733 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 5 बहिब एवं रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 89/89

की कुल 13.8410 हैक्ट भूमि में से 11533/69200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में से 1.4897 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 5 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं शेष 0.817 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 खातेदार काश्तकार रहेगा।

2. वादी स0 2 के पास— रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 89/89 की कुल 13.8410 हैक्ट भूमि में से 15569/1107280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम एवं 65163/957797200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि का खातेदार वादी स0 2 रहेगा एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 90/88 की कुल 20.7330 हैक्ट भूमि में से 916/20733 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज है का वादी स0 1 खातेदार काश्तकार रहेगा। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक इस्तदुआ डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष—2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 89/89 की कुल 13.8410 हैक्ट भूमि में से 11533/69200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम, 15569/1107280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम, 65163/957797200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 90/88 की कुल 20.7330 हैक्ट भूमि में से 916/20733 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम, 3455/20733 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम, 253/20733 हिस्सा भूमि वादी स0 1 के नाम, 941/27644 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मुताबिक हक हिस्सा दर्ज नहीं हुई है अर्थात हिस्सा कस्सी है वादी के कथन को प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल पेश किया जाकर स्वीकार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा

उपखण्ड अधिकारी (सहायक)
नोहर (हनुमानगढ़)

बच्चनसिंह के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 90/88 की कुल 20.7330 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 3455/20733 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 89/89 की कुल 13.8410 हैक्ट भूमि में से 11533/69200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में से 1.4897 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 5 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.817 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 89/89 की कुल 13.8410 हैक्ट भूमि में से 15569/1107280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम एवं 65163/957797200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 90/88 की कुल 20.7330 हैक्ट भूमि में से 916/20733 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज है का वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 9/6/22 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-पिचकराई

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -256/2023

अनवान : -

1. जगमोहन पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
2. सेवकसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. साधुसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गुरमेलसिंह पुत्र हरबश कौर जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
3. निर्मल सिंह पुत्र हरबंश कौर जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
4. खुशवंत सिंह पुत्र बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
5. जीवणसिंह पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7-9 आरपीएम तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 256 सन 2023 निर्णय दिनांक 09.06.2023,

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 90/88 की कुल 20.7330 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 3455/20733 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 89/89 की कुल 13.8410 हैक्ट भूमि में से 11533/69200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में से 1.4897 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 5 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.817 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 89/89 की कुल 13.8410 हैक्ट भूमि में से 15569/1107280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम एवं 65163/957797200 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 90/88 की कुल 20.7330 हैक्ट भूमि में से 916/20733 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज है का वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...31-6-23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-पिचकराई